

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-66/2012

/कृ०, पटना, दिनांक ..... दिसम्बर, 2015

प्रेषक,

बी० कार्तिकेय भा०प्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स एफ०एम०सी० इण्डिया प्रा० लि०,  
द्वारा-हरनाथका कारपोरेशन, 303 बी०,  
सुकृति कम्पलेक्स, एस०पी०वर्मा रोड, पटना-1,

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-53-59 दिनांक 08.10.2012 वैद्यता तिथि 31.12.2015 में इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के तहत निम्नांकित विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा विनिर्मित कीटनाशियों का कीटनाशी बिक्री/भण्डारण अनुज्ञप्ति संख्या 58-59 दिनांक 08.10.2012 वैद्यता तिथि 31.12.2015 में इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र सं	कम्पनी का नाम	क्र सं	कीटनाशी का नाम	वैद्यता तिथि
1	मेसर्स एग्रो लाईफ साइन्स कारपोरेशन	1	Glyphosate 41% SL	31-12-2015
2	मेसर्स R3 क्रॉप केयर प्रा० लि०	2	Chlorpyriphos 20% EC	31-12-2015
		3	Chlorpyriphos 50% EC	31-12-2015
		4	Chlorpyriphos 50%+Cypermethrin 5% EC	31-12-2015
3	मेसर्स वेन्टेक केमिकल्स लि०	5	Bifenthrin 2.5% EC	31-12-2015
		6	Bifenthrin 10% EC	31-12-2015
		7	Carbosulfan 25% EC	31-12-2015
		8	Carbofuran 3% CG	31-12-2015
4	मेसर्स मॉडर्न पेपर्स	9	Imidacloprid 17.8% SL	31-12-2015
		10	Acidamiprid 20% SP	31-12-2015
		11	Pretilachlor 50% EC	31-12-2015
		12	Buprofezin 25% SC	31-12-2015
5	मेसर्स बी०आर०एग्रोटेक लि०	13	Chlorpyriphos 20% EC	31-12-2015
		14	Chlorpyriphos 50% EC	31-12-2015
6	मेसर्स सरस्वती एग्रो केमिकल्स इण्डिया प्रा० लि०, जम्मू	15	Pretilachlor 50% EC	31-12-2015
		16	Tebuconazole 25.9% EC	31-12-2015
		17	Propineb 70% WP	31-12-2015
7	मेसर्स सरस्वती एग्रो केमिकल्स इण्डिया प्रा० लि०, मोहाली, पंजाब	18	Cratap Hydrochloride 4% GR	31-12-2015
		19	Hexaconazole 5%SC	31-12-2015
8	मेसर्स धानुका एग्रोटेक लि०	20	Clomazone 50% EC	31-12-2015
9	मेसर्स इण्डोफिल इन्डस्ट्रीज लि०	21	Hexaconazole 4%+Zineb 68% WP	31-12-2015
10	मेसर्स एफ०एम०सी० इण्डिया प्रा० लि०	22	Propoxure 20% EC	31-12-2015
		23	Cafentrazone Ethyl 20%Sulfosulfuron 25% WG	31-12-2015

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स एफ०एम०सी० इण्डिया प्रा० लि०, H/O- श्री अरविन्द कुमार S/O-श्री रामबृक्ष प्रसाद यादव, बड़ी पहाड़ी, थाना-अगमकुआँ, पटना-07

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।



5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(बी0 कार्तिकेय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

5822

/क0, पटना, दिनांक 14 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।